

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग

क्रमांक/चार/रा0वि0/ 25

भिलाई,दिनांक 7.1.2022

// रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर सूचना // (द्वितीय)

नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत ट्रेफिक सिग्नल की स्थापना एवं पांच वर्षों तक संधारण एवं संचालन कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) के तहत निविदा आमंत्रण हेतु एकीकृत पंजीयन प्रणाली ठेकेदारों/एन.जी.ओ./एजेंसी/स्व सहायता समूह जिन्हे छ.ग. राज्य अंतर्गत किसी भी नगर पालिक निगम/नगर परिषद आदि संस्थाओं में ट्रेफिक सिग्नल की स्थापना एवं संचालन एवं संधारण कार्य के अनुभव हो से रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आमंत्रित किया जाता है।

उक्त ऑफर में भाग लेने हेतु निविदाकार को लिफाफा "अ" में आवेदन शुल्क रु. 2000.00 मात्र का डिमांड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि के रूप में रु. 50,000.00 मात्र का एफ.डी.आर. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई एवं एजेंसी के संयुक्त नाम से प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, आयकर, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, जीवित बैंक साल्वेंसी प्रमाण-पत्र की नोटरी/स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति, नोटरी शपथ पत्र, लिफाफा "ब" में तथा लिफाफा "स" में वित्तीय ऑफर प्रस्तुत करना होगा। ऑफर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 10.02.2022 को सायं 5.00 बजे तक नगर पालिक निगम भिलाई के पते पर स्वीकार किये जायेंगे। उक्त तिथि के बाद लिफाफे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

प्राप्त ऑफर दिनांक 11.02.2022 को 11.00 बजे लिफाफा "अ" एवं "ब" खोले जायेंगे। नियम एवं शर्तों का अवलोकन कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम भिलाई (छ.ग) में किया जा सकेगा। दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। प्रस्तावित निविदा हेतु तैयार किये गये नियम एवं शर्त एवं प्रस्तावित स्थलों की जानकारी निगम के वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com एवं संचालनालय की वेबसाइट www.uda.cg.gov.in एवं www.eproc.cgstate.gov.in और bhilai.urbanecg.gov.in में देखी जा सकती है।


6.1.22
अधीक्षक (विज्ञापन)
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग

रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत

ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना तथा संचालन, संधारण कार्य नियम व शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत विभिन्न चौराहो/तिराहो में ट्रैफिक सिग्नल स्थापना, संचालन एवं संधारण करना आधार पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु इच्छुक एडवरटाइजिंग एजेंसी से प्रस्ताव दिनांक 10.02.2021 को अपराह्न 5.30 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। प्रस्ताव हेतु शर्तें निम्न हैं :-

1. एजेंसी द्वारा तीन लिफाफा पद्धति से प्रस्ताव दिया जावेगा। लिफाफा 'अ' में धरोहर राशि/निविदा प्रपत्र शुल्क एवं लिफाफा 'ब' में संस्था/एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, नगर निगम का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, आयकर, वाणिज्य कर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति तथा लिफाफा 'स' में वित्तीय आफर प्रस्तुत किया जावेगा।
2. चौराहो की एवं ट्रैफिक सिग्नल की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. सिग्नल लगाने के पूर्व स्थल के अनुसार नक्शा अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा।
4. एजेंसी को राशि रू. 2.00 लाख के बैंक गारंटी कार्यदेश जारी किए जाने के 10 दिवस के भीतर जमा की जानी होगी।
5. आफर के साथ राशि रू0 0.50 लाख की धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के, पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई से अनुमोदित ड्राईंग/डिजाईन के अनुसार सिग्नल लगाने का कार्य किया जाना होगा।
7. ट्रैफिक सिग्नल हेतु फाउंडेशन डिजाईन एवं स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेंसी की होगी तथा लगाने के एक सप्ताह के भीतर संरचना इंजीनियर से स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर नगर निगम में जमा करना होगा तथा प्रत्येक एक वर्ष पश्चात् संरचना इंजीनियर से पुनः स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर नगर निगम में जमा करना होगा।
8. प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी। अन्य माध्यम से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. अनुबंध की अवधि प्रारंभिक रूप से 05 वर्ष की होगी तथा इसे आगामी वर्षों के लिए पुनः नवीनीकरण (पुनः अनुज्ञापित) किया जा सकता है इस संबंध में आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। अगर अनुबंध पुनः नवीनीकृत नहीं किया जाता है तो संबंधित फर्म/एजेंसी को अपना सिग्नल सिस्टम उस चौराहो/तिराहे से स्वयं के व्यय पर हटाना होगा अन्यथा नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा उस सिग्नल सिस्टम को हटा दिया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्षकार (संबंधित एजेंसी/फर्म) की होगी।
10. आफर में प्राप्त दरो को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का सर्वाधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा।
11. नगर निगम भिलाई एवं यातायात विभाग द्वारा जारी विज्ञापन निशुल्क प्रदर्शित किया जाना होगा। जिसका किसी प्रकार से भुगतान नहीं किया जावेगा।



क्रमशः-

12. एजेंसी के द्वारा नगर निगम की विज्ञापन नीति एवं शर्तों के अनुसार विज्ञापन का प्रदर्शन किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल पर विज्ञापन का प्रदर्शन इस प्रकार सुनिश्चित किया जावेगा कि वह किसी प्रकार से अश्लील स्लोगन नहीं हो एवं न ही किसी ना समाज या संस्था पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता हो एवं न ही किसी राजनैतिक दल का विज्ञापन प्रदर्शित करता हो।
13. ऐसे विज्ञापन न लगाये जाये जिससे वाहन चालाको का ध्यान भटकने की संभावना हो तथा यातायात सिग्नल किसी प्रकार से बाधित न हो।
14. एजेंसी के द्वारा स्टैण्डर्ड ट्रैफिक पोल पर जो विज्ञापन पटल प्रदर्शित किया जाएगा, उसका साइज (चौरस) 3 मी. x 1 मी. से अधिक नहीं होगा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत विज्ञापन बोर्ड सड़क से 4.50 मीटर उंचाई पर ही लगाया जाएगा।
15. एजेंसी के द्वारा केन्टीलीवर ट्रैफिक पोल पर विज्ञापन बोर्ड अधिकतम 3 मी. x 1 मी. का लगाया जाएगा एवं सड़क से लगभग 7 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा ताकि यातायात में किसी प्रकार से व्यवधान न हो।
16. एजेंसी के द्वारा सभी विज्ञापन बोर्ड/पटल सरक्षित मापदण्ड के अनुरूप ही लगाए जाये एवं उपरोक्त के किसी भी प्रकार से गिरने इत्यादि की स्थिति में दुर्घटना का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार का ही होगा।
17. एजेंसी के द्वारा उक्त संबंधी यातायात पुलिस एवं अन्य विभागों के निर्धारित सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किया जाएगा।
18. ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना उपरान्त उक्त ट्रैफिक सिग्नल के संधारण एवं रखरखाव का कार्य निरंतर 05 वर्षों तक एजेंसी के द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाएगा। इसके साथ ही उक्त कार्य पर आने वाले विद्युत खपत संबंधी व्यय का भुगतान भी एजेंसी के द्वारा स्वयं ही किया जाएगा।
19. प्रत्येक स्थापित ट्रैफिक सिग्नल पर नगर पालिक निगम मिलालाई को प्रतिवर्ष प्रदर्शन शुल्क के रूप में विज्ञापन एजेंसी प्रदान करेगी।
20. छ0ग0 भूमि विकास नियम मे संकेत तथा बाहरी प्रदर्शन संरचना का पूर्णतः पालन एजेंसी के द्वारा किया जाएगा।
21. प्रस्ताव स्वीकृत होने के सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इकरारनामा करना होगा इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम मिलालाई द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रस्ताव अनुबंध करा लेने के बाद ही विज्ञापन कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा एवं अनुबंध दिनांक से ही किराया प्रारंभ माना जावेगा।
22. ट्रैफिक सिग्नल में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु अनुबंध 05 वर्ष की अवधि के लिये किया जावेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात् स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में पांच प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
23. एजेंसी के द्वारा उक्त कार्य के संबंध में कोई भी दावा या वाद आयुक्त नगर पालिक निगम मिलालाई को स्वीकार्य नहीं होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र दुर्ग रहेगा।
24. एजेंसी के द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में विज्ञापन संबंधी दी गई विज्ञापन अधिकार (एन०ओ०सी०) निरस्त करने का अधिकार नगर निगम मिलालाई के पास सुरक्षित रहेगा।

25. यदि भविष्य में किसी विकास कार्य, सुरक्षा, सौंदर्यीकरण योजना इत्यादि के कारण ट्रैफिक सिग्नल/सिस्टम को हटाया जाना आवश्यक हो तो एजेंसी स्वयं के व्यय पर पुनर्स्थापना का कार्य कराएगा।
26. ट्रैफिक सिग्नल इत्यादि की देखरेख एजेंसी के द्वारा निरन्तर की जाएगी तथा ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की स्थिति में 24 घंटे के अंदर यथाशीघ्र संधारण कार्य उपरांत चालू कराया जाएगा। यदि 24 घंटे से अधिक समय तक सिग्नल बंद रहेगा, तो प्रति घंटे राशि रू0 1000.00 की दर से पेनाल्टी लगाया जाएगा, जिसे एजेंसी द्वारा 1 कार्य दिवस के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा अनुबंध निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
27. एजेंसी के द्वारा यातायात ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना के कार्य हेतु समयावधि का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि किसी कारण एजेंसी द्वारा सूचारू रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया जाता है तो आयुक्त, नगर निगम भिलाई को यह अधिकार होगा कि वह किये गये अनुबंध पत्र निरस्त कर सकते हैं। इससे एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
28. एजेंसी के द्वारा लगाए जाने वाले सिग्नल अत्याधुनिक पद्धति पर आधारित होने चाहिए। व्ही.आई.पी. मूवमेंट की स्थिति में रिमोट/लोकल ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
29. सिग्नल लगाये जाने के लिए समस्त करों का भुगतान एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। सड़क खोदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़क खोदने की स्थिति में नियमानुसार समस्त सुधार का व्यय एजेंसी करेगा।
30. अनुबंध के तीन माह के भीतर सिग्नल स्थापना का कार्य सम्पन्न किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
31. अनुबंध 05 वर्ष के लिए किया जावेगा तथा अनुबंध व कार्यादेश के 10 दिवस के भीतर प्रथम वर्ष का 50 प्रतिशत राशि आफर में उल्लेखित दर से निगम में जमा करना होगा उसकी रसीद की प्रमाणित प्रति जमा करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि 6 माह पश्चात् जमा की जानी होगी। ऐसा 5 वर्षों तक नियमित रूप से जमा किया जाना होगा अन्यथा बैंक गारंटी जप्त कर अनुबंध समाप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
32. किसी तिराहे/चौराहे में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आफर आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त की जा सकेगी। इस स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
33. विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं हेतु विज्ञापन एजेंसी जवाबदेय होगी। इसमें होने वाली जनघन की हानि हेतु क्षतिपूर्ति विज्ञापन एजेंसी द्वारा वहन की जावेगी तथा विज्ञापन एजेंसी को इस आशय का शपथ पत्र निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।
34. स्वच्छता, सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं किसी विवाद की स्थिति में किसी भी ट्रैफिक सिग्नल को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना दे कर आयुक्त नगर निगम भिलाई द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु संबंधित विज्ञापन एजेंसी जवाबदेय होगी।
35. एजेंसी को शासन एवं नगर पालिक निगम भिलाई की विधि एवं उपविधि, निर्णय तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
36. सम्पूर्ण नगर निगम सीमा अंतर्गत कोई भी नये प्रकार के विज्ञापन के लिये समस्त अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी निविदाकार अथवा अन्य विज्ञापन एजेंसी की किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।



क्रमशः-

37. ट्रैफिक सिग्नल लगाते समय, निकालते समय एवं मरम्मत करते समय निगम की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विज्ञापन एजेंसी की होगी एवं संबंधित से क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जायेगी।
38. ट्रैफिक सिग्नल व उसकी संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चमकीला परावर्तन नहीं होना चाहिए।
39. ट्रैफिक सिग्नल में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन वाली चलायेमान तत्व तथा शोर उत्पन्न करने वाली सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी।
40. ट्रैफिक सिग्नल में प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी संवैधानिक संस्थाएं, केन्द्र, सरकार, राज्य शासन इसके अधीन समस्त शासकीय उपक्रमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य शब्द इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नहीं किया जावेगा।
41. ट्रैफिक सिग्नल में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नहीं किया जावेगा।
42. ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना से उसके लगे रहने की सम्पूर्ण अवधि तक किसी भी जानमाल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि/क्षति के लिये एजेंसी स्वयं जिम्मेदारी होगी किसी भी नुकसान, हानि, क्षति की संपूर्ण भरपाई एजेंसी द्वारा ही की जायेगी।
43. ट्रैफिक सिग्नल में यदि प्रकाश व्यवस्था किया जाना हो तो ऐसी स्थिति छ.ग.विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु नगर निगम द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया जायेगा। ट्रैफिक सिग्नल हेतु विद्युत कनेक्शन लेने तथा नियमित रूप से भुगतान से संबंधित समस्त व्यय फर्म द्वारा स्वयं किया जाएगा।
44. एजेंसी को केन्द्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय समय पर लागू की जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किये जाने वाले शुल्क सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।


 6.1.22
 अधीक्षक (विज्ञापन)
 नगर पालिक निगम
 30 मिलाई

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION

NIT

FINANCIAL OFFER FOR SQUARE

Name : _____
Address : _____
EMD Details : _____
Royalti Per Annum For : _____

Sl.No.	Square Name	Amount (Per Annum)
1	Nahar Tiraha Khursipar Dabrapara	
2	Khursipar Gate Tiraha	
3	Power House chowk	
4	Chanda mourya chowk	
5	Supela chowk Ghadi Chowk	
6	Police Thana Supela (Blinker)	
7	Nehru Nagar chowk	
8	Nehru Nagar Gurudwara chowk	
9	Chhawani chowk	
10	ACC chowk	
11	BSR chowk Junwani (T.I. Mall)	
12	Avanti bai chowk kohaka	

TOTAL
(Amount Per Annum)

Signature of the Applicant